न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
006/2021	11.01.2021	17.02.2021

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

नन्द लाल सुथार पुत्र सागर मल सुथार एफ.बी.ओ. मैसर्स सांवरिया ऑयल मिल, खलियान रोड, निकुम्भ तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ राज., निवासी खलियान रोड, निकुम्म तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ राज. पिनकोड –312403

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 परिवाद विरूद्ध अप्रार्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मदन लाल गूजर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी टोंक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहे हूँ और इनका गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग 2(क) के क्रमांक 53 पर अंकित है, जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475/10.08.2011 के अनुसार इन्हे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक आंवटित किया गया है अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.10.2020 को समय 04:08 पी.एम पर कस्बा निकुम्भ तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) में मैसर्स सांवरिया ऑयल मिल, खलियान रोड, निकुम्भ तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ में जिला क्लेक्टर महोदय द्वारा गठित सयुक्त जॉच दल के साथ पहुंचें, उक्त फर्म पर नन्दलाल सुथार उपस्थित मिला

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:30:45 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर नन्द लाल सुथार ने स्वंय को मैसर्स सांवरिया ऑयल मिल खलियान रोड निकुम्भ तहसील बडी सादडी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र बताया जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नन्दलाल सुथार उपस्थिति में ऑयल मील का निरीक्षण करने पर पाया कि में आम जनता को विक्रय करने हेतु मूंगफली तेल सांवरिया ब्राण्ड 5–5 किलो ग्राम के पीपी जार 50 नग पैक जिसके बैच नं 006 व पैंकिंग दिनांक 25.09.2020 थी, प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये, में को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो नन्द लाल सुथार को फार्म नं. **V A Form** दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ. नन्दलाल सुथार व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह मूंगफली तेल सांवरिया ब्राण्ड को वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय कर रहे है, प्रतिष्ठान में मूंगफली तेल सांवरिया ब्राण्ड रखे हुये 50 नग/पीपी जार पैक 5–5 किग्रा मे से 5 किलोग्राम की 1 पीपी/जार को ज्यों का त्यों साफ प्रिन्टेड मूंगफली तेल सांवरिया ब्राण्ड का चयन किया जिसमे से 1600 ग्राम मूंगफली तेल सांवरिया ब्राण्ड वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता नन्द लाल सुथार को उनके माँगे अनुसार बाजार भाव से रु0 208/– अक्षरे दौ सौ आठ रुपये मात्र नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चयन शुदा 5 किलोग्राम मूंगफली तेल सांवरिया ब्राण्ड के नग को नन्दलाल सुथार एवं गवाहान को दिखाकर उक्त को 5 किलो ग्राम पीपी/जार पैक को नियमानुसार खोलकर कर बाट मापक से 1600 ग्राम मूंगफली तेल सांवरिया वाण्ड एक साफ व सूखे प्लास्टिक के जग में तुलवाकर चार अलग–अलग साफ व सूखी कॉच की शीशियों मे 400–400 ग्राम भरकर, शीशियों के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बन्द किया एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमक **AM-1226** एव पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता नन्दलाल सुधार तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोँद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. चित्तौड़गढ़ की

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:30:45 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. **AM-1226** नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे नन्दलाल सुधार ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये मौके पर तैयार सभी दस्तावेज अपने कब्जे में लिये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया, दो फर्म सं. 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को नमूना का एक तैयार शुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया व शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं 6 की एक प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा करवाने हेतु तैयार किये एवं डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा करवाया एवं डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने रोशनलाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 30.10.2020 को खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाने हेतु भेजा गया एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है, नमूने के शेष 2 भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 30.10.2020 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/4498 दिनांक 02.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0एस0/226/एक्ट/2020/235 दिनांक 31.10.2020 के अनुसार एफ.बी.ओं. नन्दलाल सुथार से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया मूंगफली तेल सांवरिया ब्राण्ड एफ.एस.एस.ए. की धारा **3(i)(zf)(C)(i)** का उल्लघंन करने के कारण मिध्याछाप (**Mis-Branded**) स्तर का होना पाया गया। जिसकी जॉच रिर्पोट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। जिसकी सूचना नन्दलाल सुथार पुत्र सागर मल सुथार एफ.बी.ओ. मैसर्स सांवरिया ऑयल मिल, खलियान रोड, निकुम्भ तहसील बडीसादडी जिला

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:30:45 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चित्तौड़गढ़ को मय रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी गयी थी, जिसकी रजिस्ट्री रसीद न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक द्वारा प्रकरण से सम्बंधित अनुसंधान पूर्ण होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ के समक्ष न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अभियोजन स्वीकृति चाहने बाबत दिनांक 31.12.2020 को पत्रावली प्रस्तुत की। अभिहित अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं 2011 की धारा 36 की उप धारा 3(ङ) के तहत समस्त पवावली का अवलोकन व अध्ययन कर पत्र क्रमांक एफ.एस.एसए./2021/49 दिनांक 05.01.2021 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण में अंकित अभियुक्त के विरुद्ध न्याय निर्णयन आवेदन न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष पेश/प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया है। अतः में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि अभियुक्त ने खाद्य पदार्थ मूंगफली तेल सांवरिया ब्राण्ड को मिध्याछाप (**Mis-Branded**) स्तर का बनाकर विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (**ii**) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः उपरोक्त न्याय निर्णयन आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 17.02.2021 को अप्रार्थी स्वयं हाजिर आया एवं इकबालिया जवाब परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी फर्म से मूंगफली तेल (सांवरिया ब्राण्ड) का नमूना लिया गया था जो कि मिसब्रान्डेड होना पाया गया है, मुझे खाद्य सुरक्षा कानून की पूर्ण जानकारी न होने से मिसब्रान्ड (स्टीकर पर वजन नहीं **Print** के कारण) होना पाया गया है इस त्रूटी को में सुधार कर लिया है। मैं शुद्ध तेल का निर्माण कर ही विक्रय करता हूँ, मेरा बड़ा व्यापार नहीं है, छोटा घाणा है, फिर भी भविष्य में मैं सावधानी पूर्वक खाद्य सुरक्षा कानून के नियमों के तहत खाद्य तेल का निर्माण व विक्रय करूगा। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में मुझ प्रार्थी को माफ करवावे। जवाब परिवाद शामिल पत्रावली है।

विपक्षी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। इस पर हाजिर विपक्षी को सुना गया। विपक्षी ने जवाब परिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं माफ किये जाने की ईश्तदुआ के साथ अपना कथन समाप्त किया। इसी ईश्तदुआ के साथ अप्रार्थी ने अपना कथन समाप्त किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:30:45 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मनन किया। उक्त प्रश्नगत खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने की सूचना निर्धारित प्रारूप में फार्म नंबर **V-A** में विपक्षी को दी गई है जिसकी पुष्टि फार्म नंबर **V-A** से होती है। उस पर विपक्षी के हस्ताक्षर अंकित है। नमूना खरीद बिल/कैश मेमों पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर विक्रेता के रूप में अंकित है इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ अप्रार्थी से क्रय किया गया है। फर्द रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त फर्द रिपोर्ट मौके पर दिनांक 29.10.2020 को बनाई गई है उस पर विपक्षी के हस्ताक्षर अंकित है। हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतुस्त दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट है, एवं प्रकरण की भी किसी प्रकार से अतिरिक्त शहादत की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला से रिपोर्ट संख्या **LS 226/Act 2020/235** दिनांक 31.10.2020 का अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मूंगफली तेल सांवरिया ब्राण्ड एफ.एस.एस.ए. की धारा **3(1)(Zf)(C)(i)** का उल्लघंन करने के कारण मिध्याछाप (**Mis-Branded**) स्तर का होना पाया गया होना पाया गया है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

Report No LS 226/Act 2020/235

Certified that I RAVI SETHI duly appointed as under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Dr. Madan Lal Gujar Food Safety Officer District Chittorgarh, a sample of Groundnut Oil (Sawariya) bearing code no. and serial no. AM-1226 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh on 30.10.2020 for analysis.
The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No 53 Intact and unbroken. The seals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum, in sealed envelope.
I found the sample to be Fat, oils, and fat emulsion falling under Regulation No. 2.2.1.3 (Groundnut Oil) of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on 30.10.2020 to 31.10.2020 and the result of its analysis is given
below-

ANALYSIS REPORT---

(i) Sample description: The sample packed in wide mouth glass jar. (Double filter expression which is an exaggeration of the quality of the products) Violation of regulation no. 2.4.2(1) of Food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulations 2011.
(ii) Physical appearance:- The sample is clear, free from separated water and suspended matter.
(iii) Label :- Loose sample of Groundnut oil. Taken from Manufacture unit 5kg tin jar. Brand-Sawariya, Name of food- Ground nut oil, Green Veg.- Present, Mfg. by- Sawariya oil mil, Nikumbh, Teh- Bari sadri, Chittorgarh (Raj.), Best before six months from Packaging, Batch No.- 06, Pkd. date- 25 SEP.2020 Nut. Information - Given, Fssai Lic no.- 12215019000024.
Opinion:- The sample of Groundnut Oil (Sawariya) Bearing code no. and serial no. AM-1226 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is misbranded food. The sample is misbranded food under section 3(1)(Zf)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:30:45 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप **AM-1226** उक्त खाद्य खाद्य पदार्थ मूंगफली तेल सांवरिया ब्राण्ड) एफ.एस.एस.ए. की धारा **3(1)(Zf)(C)(i)** का उल्लघंन करने के कारण मिध्याछाप (**Mis-Branded**) स्तर का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने मिध्याछाप (**Mis-Branded**) मूंगफली तेल सांवरिया ब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा पदार्थ एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लंघन किया है। इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है एवं अप्रार्थी नन्द लाल सुथार पुत्र सागर मल सुथार एफ.बी.ओ. मैसर्स सांवरिया ऑयल मिल, खलियान रोड, निकुम्भ तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ राज., निवासी खलियान रोड, निकुम्म तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ राज. को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत उक्त दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 52 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:30:45 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

52. Penalty for misbranded food.

(1) Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees.
(2) The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त श्री नन्द लाल सुथार पुत्र सागर मल सुथार एफ.बी.ओ. मैसर्स सांवरिया ऑयल मिल, खलियान रोड, निकुम्भ तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ राज., निवासी खलियान रोड, निकुम्म तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ राज. को की दोषी सिद्धि होने से अभियुक्तगणों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन करने से अभियुक्त श्री नन्द लाल सुथार पुत्र सागर मल सुथार एफ.बी.ओ. मैसर्स सांवरिया ऑयल मिल, खलियान रोड, निकुम्भ तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ राज., निवासी खलियान रोड, निकुम्म तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ राज. को 30000/– अक्षरे तीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **17.02.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:30:45 IST
Reason: SelfAttested